कोटा में आयोजित हरित भारत एक्सपो से आमजन ने दूरी बनाई

कोटा, (निसं)। एमएसएमई मंत्रालय के सहयोग से तीन दिवसीय हरित भारत एक्सपो का कोटा में शुक्रवार को आगाज किया जाएगा। कोटा में पहली बार हो रहे इस तरह के आयोजन में कोटा सहित देशभर की 100 से अधिक कम्पनियां इसमें भाग ले रही हैं और देशभर में ग्रीन एनर्जी को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है। कोटा में इस एक्सपो के आयोजन को लेकर शहर के प्रतिष्ठित होटल में व्यवस्थाएं की गई लेकिन एक्सपो ने पहले दिन इस आयोजन से आमजन ने पूरी तरीके से दूरी बनाए रखी। मजेदार बात यह है कि सोलर और ग्रीन एनर्जी के निम्न और मध्यम आय वर्ग मे प्रचार प्रसार के लिए इस आयोजन को रखा गया था। लेकिन आयोजन स्थल शहर से काफी दूर था और इसके अलावा भव्य होटल में आयोजन होने के कारण आमजन इस एक्सपो में भाग लेने से कतरा रहा है। जिस तरीके का आयोजन किया जा रहा है वह केवल एलीट क्लास के लिए ही महसूस हो रहा है। जबकि एलीट क्लास ने भी पहले दिन इस आयोजन में कोई उत्साह नहीं दिखाया। 100 से अधिक संस्थान इस एक्सपो में पार्टिसिपेट तो कर रहे हैं और उनसे लाखों रुपया भी जुटाया गया है परंतु इस एक्सपो के माध्यम से उनको बेहतर बाजार मिल पाएगा यह संभव नजर नहीं आ रहा। गंभीर बात यह भी है कि इस

कोटा में आयोजित हरित भारत एक्सपो में आमजन की मौजूदगी नजर नहीं आई।

कार्यक्रम में जिला उद्योग केंद्र और रीको की उदासीनता देखने में सामने आई है। इस आयोजन को लेकर दोनों ही विभाग उदासीन नजर आऐं। इनके लिए एक्सपो में जी6 और जी7 इंस्टॉल आरक्षित की गई थी लेकिन पहले दिन यह स्टॉल खाली ही नजर आई। अब सरकार के विभाग ही अगर इस तरीके के एक्सपो से उदासीनता दिखाएंगे तो फिर आमजन से क्या उम्मीद की जा सकती है।

मुफ्त बिजली योजना नहीं हुई लागू:- केंद्र सरकार पीएम सूर्य घर योजना के जरिए एक करोड़ घरों में सोलर प्लांट लगाने पर हर महीने 300 यूनिट मुख्य बिजली देने की घोषणा कर चुकी है। इसका प्रचार भी एक्सपो में भाग लेने वाली कंपनियां कर रही हैं। लेकिन जब मौके पर इन संस्थाओं से पूछा गया की क्या 300 यूनिट बिजली हर महीने मुफ्त मिलेगी तो कंपनियां के स्टॉल पर मौजूद स्टॉफ ने कहा कि अभी यह योजना लागू नहीं हुई है। अगर इस योजना में आवेदन किया गया है और सोलर प्लांट लगा है तो फिर योजना लागू होने के बाद इसका लाभ मिल सकेगा। वैसे राज्य सरकार के द्वारा सोलर प्लांट लगाने पर 150 यूनिट बिजली प्रति माह मुफ्त देने की घोषणा बजट में की गई थी। अब यह भी प्रचारित किया जा रहा है कि सोलर प्लांट लगाने पर राज्य सरकार भी 17000 रुपए की सब्सिडी देगी। लेकिन जानने योग्य बात ये है कि अभी तक इस योजना को राज्य सरकार के द्वारा लागू नहीं किया गया है। मतलब उपभोक्ताओं को लाभ के स्वप्न बाग तो दिखाए जाएंगे लेकिन जमीनी हकीकत इससे उलट होगी। सोलर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद सिनधावा कहते हैं कि लोगों में जानकारी का बहुत अभाव है। सब्सिडी और मुफ्त बिजली को लेकर उपभोक्ताओं को अपने नियोजक से संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। सरकार भी सब्सिडी और मुफ्त बिजली योजना को लेकर लोगों को शिक्षित नहीं कर पा रही है।

हाईटेक टेक्नोलॉजी के बीच जड़ी-बूटी की दुकान-वैसे इस भव्य आयोजन हरित एनर्जी को लेकर कंपनियों के द्वारा हाईटेक टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन किया जा रहा है। लेकिन इन सबके बीच एक्सपो में जड़ी-बूटी के द्वारा बीमारियों का इलाज करने का दावा भी किया जा रहा है। एक्सपो में एक स्टॉल जड़ी-बूटी की भी लगाई गई है। जहां पर जड़ी-बूटी बेचने के पेशेवर तरीके से इलाज के दावे किए जा रहे थे। इसके अलावा फिटनेस उपकरण बेचने की दुकान भी लगी है। एक्सपो में कूलर भी बेचे जा रहे हैं। इन दुकानों की उपस्थिति के चलते यह महसूस हो रहा कि ये एक्सपो अपने प्रोफेशनल ट्रैक से हटी हुई है।

डीसीएम श्रीराम लिमिटेड कोटा का वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित

कोटा, (निसं)। जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोटा और डीसीएम श्रीराम लिमिटेड, कोटा के सयुंक्त तत्वाधान में न्यायिक आवासीय कॉलोनी, सिविल लाइन्स में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला एवं सत्र न्यायाधीश सत्यनारायण व्यास एवं विशिष्ठ अतिथि डीसीएम श्रीराम लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक वीनू मेहता रहे।

कार्यक्रम में सभी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट एवं डीसीएम श्रीराम लिमिटेड के अधिकारीगण उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान न्यायपालिका के अधिकारियों एवं डीसीएम के प्रतिनिधियों ने पर्यावरण सरंक्षण का संदेश देते हुये विभिन्न प्रकार के पौधे लगाये। इस पहल का उद्देश्य पर्यावरण को संतुलन बनाये रखना और आवासीय परिसर को हरा भरा बनाना रहा। कार्यक्रम में उपस्थित अधिकारियों ने आमजन को अधिक से अधिक पेड़

डीसीएम श्रीराम लिमिटेड कोटा द्वारा वृक्षारोपण किया गया।

लगाने के लिये प्रेरित किया और वृक्षों के सरंक्षण का सकंल्प लिया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोटा के सहयोग से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें सचिव गीता चौधरी भी उपस्थित रही। मोहम्मद आजम मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने कार्यक्रम का सचांलन एवं उपस्थित सभी अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित किया।

सार-समाचार

विद्यालय की छत गिरने पर ग्रामीणों का प्रदर्शन

रामगंजमंडी (निसं)। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, बूरनखेड़ी की छत गिरने पर 25 जुलाई शुक्रवार को ग्रामीणों द्वारा प्रदर्शन किया गया। उपखण्ड अधिकारी चारु (आईएएस) रामगंजमंडी द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान विद्यालय की दिवारों में दरारें, फर्श टूटा व छज्जे क्षतिग्रस्त अवस्था में पाये गये। विद्यालय में ही संचालित आंगनबाड़ी का निरीक्षण किया गया। आंगनबाडी केन्द्र भी जर्जर अवस्था में पाया गया। विद्यालय की मरम्मत व पुनर्निर्माण के लिए मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी खैराबाद को 10 दिवस में प्रस्ताव बनाकर भिजवाये जाने के सख्त निर्देश दिये। निरीक्षण उपरान्त उपखण्ड अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत सातलखेडी मे रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। जिसमें उपखण्ड अधिकारी द्वारा आमजन की समस्याओं को सुना गया तथा संबंधित अधिकारीगण को समस्याओं के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिये गये। इस दौरान उपखण्ड अधिकारी व तहसीलदार रामगंजमंडी नेहा वर्मा सहित अन्य उपस्थित रहे।

स्कूली बच्चे रास्ते में कीचड़ से परेशान

छबड़ा (निसं)। कडैयावन ग्राम पंचायत के माली मोहल्ला काकड बस्ती की जर्जर सड़क से परेषान बच्चे भी अपने हक के लिए आवाज उठाने लगे हैं। बरसात के मौसम में कीचड और दलदल में तब्दील हो चुकी सडक से परेशान छोटे-छोटे स्कूली बच्चे शुक्रवार को एसडीएम कार्यालय पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। बच्चों का कहना है कि हर दिन स्कूल जाना उनके लिए किसी जंग से कम नहीं होता। कीचड से भरे रास्ते में फिसलना, कपडे और किताबें गंदा होना अब उनकी रोजमर्रा की समस्या बन गई है। बच्चों ने हाथों में पोस्टर लेकर प्रशासन से गुहार लगाई की सड़क की मरम्मत कराई जाए ताकि वे सुरक्षित और सम्मानपूर्वक स्कूल जा सकें। ज्ञापन सौपने वालो में योगेश सुमन, गरिमा, षिवम्, गौरव, सोनिया, कृष्णा सुमन, मेघराज सुमेन, जितेंद सुमन, धनराज सुमन और बाबूलाल शामिल शामिल थे।

अंतिम संस्कार से पूर्व नेत्रदान संपन्न

कोटा, (निसं)। केशव कॉलोनी, बूंदी निवासी आशीष और हितेश जैन के पिता सुरेश कुमार जैन का गुरुवार को आकस्मिक निधन हुआ। दोनों पुत्रों ने, माँ किरण लता और चाचा राजेश से पिता के नेत्रदान के लिए सहमति ली। समाचार पत्रों में लगातार नेत्रदान की खबर पढ़ने से, परिवार में काफी जागरुकता है, इसी कारण नेत्रदान के लिये तुरंत ही सभी की सहमति हो गयी। इसकी सूचना शाईन इंडिया फाउंडेशन के ज्योति मित्र इदरीस बोहरा को दी गई, उन्होंने तुरंत ही कोटा से डॉ.कुलवंत गौड़ को संपर्क कर नेत्रदान का कार्य संपन्न करवाया।

राजस्व सलाहकार गोयल का स्वागत

कोटा, (निसं)। योग परिवार द्वारा कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा के राजस्व सलाहकार परमानन्द गोयल का स्वागत किया गया। योग परिवार संस्थापक प्रकाश तापड़िया ने माला एवं प्रधान नीलम तापड़िया ने दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। गोयल ने योग परिवार को कोटा टूरिज्म पुस्तक भेट की। इस अवसर पर दिव्या मलकानी, मधु चावला, नीलम लक्ष्वाणी लाजवंती चांदवानी, सुमन शर्मा, मधु लालवानी, ममता क्षेतीजा आदि उपस्थित रहे।

स्कूल बैग वितरित

कोटा, (निसं)। नगर निगम कोटा दक्षिण के नेता प्रतिपक्ष विवेक राजवंशी ने अवगत कराया कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर शुक्रवार को कोटा दक्षिण विधानसभा के चार राजकीय विद्यालयों में विद्यार्थियों को स्कूल बैग वितरित किये गये।

क्रियाशील अभिभाषक परिषद ने ज्ञापन सौंपा

छबड़ा (निसं)। क्रियाशील अभिभाषक परिषद ने अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश को ज्ञापन सौंपकर न्यायिक कर्मचारियो की मांगो का समर्थन करते हुए त्वरित समाधान किए जाने की मांग की हैं। सचिव सईद अहमद फारूकी ने बताया कि राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ के आव्हान पर कैडर पुर्नगठन के संबंध में न्यायिक कर्मचारी 19 जुलाई से सामूहिक अवकाश पर चल रहे हैं। जिससे न्यायालय में सुचारू रूप से कार्य संपादित नहीं हो पा रहा है। क्रियाशील अभिभाषक परिषद न्यायिक कर्मचारियों की मांगों का पूर्ण समर्थन करती है। न्यायिक कर्मचारियों की मांगे न्यायोचित है। राज्य सरकार को इनकी मांगों पर ध्यान देते हुए तुरंत निस्तारित की जानी चाहिए।

दुष्कर्म के दोषी को सात साल की सजा सुनाई

कोटा, (निसं)। महिला का अपहरण कर दुष्कर्म के साढ़े छह साल पुराने मामले में अनुसुचित जाति एवं अनुसुचित जनजाति अत्याचार निवरण प्रकरण न्यायालय के न्यायाधीश ने सुनवाई करते हुए पकडे गये आरोपी छोटुलाल को दोषी मानते हुए सात साल की सजा सुनाई, साथ ही 30 हजार के अर्थ दंड से दंडित किया। विशिष्ट लोक अभियोजक रितेश मेवाड़ा ने बताया कि 24 सितम्बर 2018 को पीड़िता ने कोटा ग्रामीण के एक थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पीड़िता ने रिपोर्ट में कहा कि 23 सितम्बर 2018 की सायंकालिन घर से शोचालय के लिये जा रही थी तभी रास्ते में छोटुलाल ने रोककर पकड़ लिया और जबरदस्ती उसे एक मकान के छपरे में ले जाकर उससे दुष्कर्म किया और चिल्लाने पर गला दबाकर जान से मारने की धमकी दी। रिपोर्ट में कहा कि उसकी तलाश करते हुए परिजनों के आ जाने पर आरोपी उसे छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने पीड़िता की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया। पुलिस ने मामले में कार्यवाही करते हुए धारा 366, 376 सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी छोटुलाल को गिरफ्तार किया।

जलाभिषेक चार को

छबड़ा (निसं)। श्रावण मास के चौथे सोमवार यानी चार अगस्त को भव्य कावड यात्रा निकाली जाएगी। षिवभक्तो द्वारा पार्वती नदी के पवित्र जल से नागेश्वर बाबा का जलाभिशेक किया जाएगा। कावड यात्रा का जगह-जगह स्वागत द्वार, पुश्पवर्शा के साथ स्वागत किया जाएगा।

नाम परिवर्तन

MY NAME HAS BEEN CHANGED FROM TAHIR TO TAHIR ALI SO I WOULD BE RECOGNISED BY MY NEW NAME TAHIR ALI WITH IMMEDIATE EFFECT
FROM :- TAHIR ALI S/O ALI HUSSAIN, MAIN MARKET PURANI SABJI MANDI, JHALRAPATAN DIST JHALAWAR (Raj.) 326023

भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ मर्यादित (ट्राईफेड)
(जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार)
मुख्यालय- एनएसआईसी बिजनेस पार्क, एनएसआईसी एस्टेट, ओखला फेज-।।। ओखला औद्योगिक क्षेत्र, नई दिल्ली-110020

ट्राईफेड द्वारा निविदा आमंत्रण (GEM/2025/B/6417734)

जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत संचालित जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ मर्यादित (ट्राईफेड) ने तीसरे पक्ष के मूल्यांकन अध्ययन के सचालन के लिए एक एजेंसी की नियुक्ति के लिए एक अनुरोध प्रस्ताव (RFP) जारी/प्रकाशित किया है-
1. निम्नलिखित केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए-प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम), प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएमजनमन) और उत्तर पूर्वी क्षेत्र (पीटीपी-एनईआर) से जनजातीय उत्पादों को बढावा देना।
2. ट्राइब्स इंडिया स्टोर्स का आवश्यकता मूल्यांकन अध्ययन करना।

कार्य के दायरे समयसीमा, पात्रता मानदंड और बोली प्रस्तुत करने के दिशा-निर्देशों के बारे में पूरी जानकारी के लिए वेबसाइट-www.trifed.tribal.gov.in/ www.gem.gov.in

CBC 43104/12/0007/2526

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा
क्रमांक:-1469 **नाम हस्तान्तरण चाहने बाबत आम सूचना** दिनांक:-25.7.25
नगर विकास न्यास कोटा की श्रीरामकृष्णपुरम-ई आवासीय योजना के भूखंड/आवास संख्या 609 का आवंटन/विक्रय/हस्तान्तरण/रजि. न्यास के पत्र दिनांक 26.06.2020 को श्री अनिल अग्रवाल पुत्र श्री अमर लाल अग्रवाल को किया गया था। आवंटी द्वारा उक्त भूखंड/आवास का जर्ये मुख्तारआम श्रीमती मंजू शर्मा पत्नी श्री रामावतार शर्मा द्वारा जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 19.03.2025 को श्री रवि जैन पुत्र श्री विरेन्द्र कुमार जैन को विक्रय कर दिया गया है। क्रेता द्वारा उक्त भूखंड/आवास का अपने नामहस्तान्तरण करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।
अत: जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त भूखण्ड/आवास संख्या 609 योजना श्रीरामकृष्णपुरम-ई आवासीय का नाम हस्तान्तरण श्री रवि जैन पुत्र श्री विरेन्द्र कुमार जैन के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी। उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा
क्रमांक:-एफ-15/कृ.भू.रू./2025/768 **विज्ञप्ति** दिनांक:- 16.7.2025
सर्व साधारण को जर्ये विज्ञप्ति सूचित किया जाता है कि ग्राम कुन्हाड़ी में स्थित कृषि भूमि योजना रिद्धी सिद्धी नगर-1 खसरा नं. 355 में स्थित भूखण्ड संख्या 174 आवेदक/आवेदिका श्री गौरव माहेश्वरी पुत्र श्री ईश्वर लाल माहेश्वरी निवासी बी-61 वल्लभ नगर कोटा राज. द्वारा ऑनलाईन नाम हस्तान्तरण हेतु प्राधिकरण कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त भूखण्ड का पट्टा क्रमांक 12970 दिनांक 20.11.2012 को श्री दिपक बाफना पुत्र श्री सोभाग सिंह बाफना के पक्ष में जारी किया गया था। पट्टाधारी द्वारा उक्त भूखंड का बैचान जर्ये रजि. विक्रय पत्र दिनांक 21.06.2018 को जर्ये मुख्तारआम डॉ. अशोक कुमार जैन पुत्र श्री सूरजमल जैन द्वारा आवेदक के पक्ष में किया गया है।
अत: श्री गौरव माहेश्वरी पुत्र श्री ईश्वर लाल माहेश्वरी के पक्ष में नाम हस्तान्तरण जारी किये जाने में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अन्दर 7 योम कार्यालय में उपस्थित होकर अथवा लिखित में अद्योहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें। मियाद गुजर जाने के बाद आपत्ति मान्य नही होगी। उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा
क्रमांक:-1466 **नाम हस्तान्तरण चाहने बाबत आम सूचना** दिनांक:-25.7.25
नगर विकास न्यास कोटा की चाणक्यपुरी आवासीय योजना के भूखंड/आवास संख्या 135 का आवंटन/हस्तान्तरण/रजि. न्यास के पत्र दिनांक 06.10.2003 को श्री प्रताप सिंह तौमर पुत्र श्री पी.एस. तौमर को किया गया था। आवंटी द्वारा उक्त भूखंड/आवास का जर्ये मुख्तारआम श्री मोहनलाल पुत्र श्री रामप्रसाद द्वारा जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 01.03.2016 को श्री सत्यनारायण पुत्र श्री रामप्रसाद को विक्रय कर दिया गया है। क्रेता द्वारा उक्त भूखंड/आवास का अपने नामहस्तान्तरण करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।
अत: जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त भूखण्ड/आवास संख्या 135 योजना चाणक्यपुरी आवासीय का नाम हस्तान्तरण श्री सत्यनारायण पुत्र श्री रामप्रसाद के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी। उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा
क्रमांक:-एफ-15/कृ.भू.रू./2025/773 **विज्ञप्ति** दिनांक:- 25.7.2025
सर्व साधारण को जर्ये विज्ञप्ति सूचित किया जाता है कि ग्राम देवली अरब में स्थित कृषि भूमि योजना प्रगति नगर खसरा नं. 87 में स्थित भूखण्ड संख्या सी-12 आवेदक/आवेदिका श्रीमती एलवीना जौयस पत्नी स्व. श्री विजय डेनियल निवासी क्वाटर नं 580/बी, रेल्वे मेडिकल कालोनी कोटा राज. द्वारा ऑनलाईन नाम हस्तान्तरण हेतु प्राधिकरण कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त भूखण्ड का पट्टा क्रमांक 629 दिनांक 02.03.2015 को श्री कमलेश कुमार भण्डारी पुत्र श्री भैरुलाल भण्डारी के पक्ष में जारी किया गया था। पट्टाधारी द्वारा उक्त भूखंड का बैचान जर्ये रजि. विक्रय पत्र दिनांक 08.01.2016 को जर्ये मुख्तारआम श्री सनाउद्दीन पुत्र श्री जनाब इमामुददीन द्वारा आवेदिका के पक्ष में किया गया है।
अत: श्रीमती एलवीना जौयस पत्नी स्व. श्री विजय डेनियल के पक्ष में नाम हस्तान्तरण जारी किये जाने में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अन्दर 7 योम कार्यालय में उपस्थित होकर अथवा लिखित में अद्योहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें। मियाद गुजर जाने के बाद आपत्ति मान्य नही होगी। उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा
क्रमांक:-एफ11विक्रय/2025/283 दिनांक:-25.7.25
नाम हस्तान्तरण चाहने बाबत आम सूचना
कोटा विकास प्राधिकरण कोटा द्वारा आवास संख्या 697 श्रीनाथपुरम-बी योजना में हस्तान्तरण पत्र क्रमांक 213 दिनांक 27.06.2013 को श्री गिरिश बोहरा पुत्र श्री अखिलानन्द बोहरा के नाम हस्तान्तरण किया गया था। श्री गिरिश बोहरा पुत्र श्री अखिलानन्द बोहरा द्वारा उक्त आवास का जर्ये मुख्तारआम श्री करण सिंह पुत्र श्री प्रभूदयाल पाल द्वारा जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 06.01.2017 को श्री घनश्याम गौतम पुत्र श्री रामचरण गौतम को विक्रय कर दिया गया है। अत: श्री घनश्याम गौतम पुत्र श्री रामचरण गौतम द्वारा उक्त आवास का स्वामित्व अपने नाम से नामहस्तान्तरण करने हेतु प्राधिकरण में आवेदन प्रस्तुत किया गया है।
अत: जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त आवास संख्या 697 श्रीनाथपुरम-बी आवासीय योजना का नाम हस्तान्तरण श्री घनश्याम गौतम पुत्र श्री रामचरण गौतम के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी। उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण कोटा

MANGALAM CEMENT LTD.
Regd. Office: P.O. Aditya Nagar - 326520, Morak, Distt. Kota (Rajasthan)
CIN: L26943RJ1976PLC001705
Website: www.mangalamcement.com • e-mail: shares@mangalamcement.com

PUBLIC NOTICE-LOSS OF SHARE CERTIFICATES

NOTICE is hereby given that following share certificates issued by the Company are stated to be lost / misplaced and the registered holders thereof have applied to the Company for issue of duplicate share certificate(s):

Folio No.	Name of the Shareholder or Beneficiary	Share Certificate No.		Distinctive Numbers		No. of Shares
		From	To	From	To	
Z003923	SANJIV BHAMBRI	0004625	0004625	2430616	2430665	50
		0018343	0018343	3116451	3116500	50
		0018800	0018800	3139301	3139350	50
		0019984	0019984	3198501	3198550	50
		0031745	0031745	3786551	3786600	50
		0048523	0048523	4625451	4625500	50
		0051766	0051766	4787601	4787650	50
		0058772	0058772	5137901	5137950	50
		0068829	0068829	5640751	5640800	50
		0071518	0071518	5775201	5775250	50
		0079570	0079570	6175195	6175244	50
		0079599	0079599	6176645	6176694	50
		0079891	0079892	6191245	6191344	100
		0086266	0086266	1930166	1930215	50
		0087947	0087947	2188666	2188715	50
		0088003	0088003	2191466	2191515	50
		0096436	0096437	7549209	7549308	100
		0113160	0113160	8586697	8586746	50
		0119510	0119510	9613890	9613939	50
		0119540	0119540	9615390	9615439	50
		0129945	0129945	10504618	10504667	50
		0182986	0182986	14249730	14249779	50
		0185978	0185978	14399330	14399379	50
		0186022	0186022	14401530	14401579	50
		0187027	0187027	14451780	14451829	50
		0187031	0187031	14451980	14452029	50
		0188493	0188493	14525080	14525129	50
		0188499	0188499	14525380	14525429	50
		0188504	0188504	14525630	14525679	50
		0192112	0192113	14706030	14706129	100
		0192120	0192122	14706430	14706579	150
		0192720	0192720	14736430	14736479	50
		0193259	0193260	14763380	14763479	100

The Company will proceed to issue duplicate certificate(s)/confirmation letter(s) in respect of these shares, if no valid objection is received at its registered office at the address given above within 15 days from the date of publication of this notice.

For: Mangalam Cement Limited
Sd/-
Pawan Kumar Thakur
Company Secretary & Compliance Officer

Date: 22.07.2025
Place: Kolkata

एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड
(ए शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक)
रजिस्टर्ड ऑफिस: 19-A, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड़, जयपुर-302001 (CIN:L36911RJ1996PLC011381)
परिशिष्ट IV (देखें नियम 8 (1) कब्जा सूचना)
जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता **एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (ए शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक)** का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए ''वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन [अधिनियम 2002 (2002 के नियम 54)]'' और प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम 13 (12) का सपठित नियमों के नियम (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में मांग सूचना दिनांक**13 जनवरी 2025** को निर्गमित की जिसमें माँग करते हुए ऋणी **अभिषेक जैन (ऋणी), पारसमल मोहनलाल (सह-ऋणी) (खाता संख्या: L9001060119892568)** से नोटिस में वर्णित **रुपये 482595/- (रु. चार लाख बयासी हजार पांच सौ पिच्यानबे मात्र)** की राशि इस नोटिस कि प्राप्ति कि दिनांक से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिये कहा गया था।
ऋणी/बन्धकर्ता के वह राशि लौटाने में विफल होने पर ऋणी/बन्धकर्ता को तथा समान्यजन को एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) तथा सपठित प्रतिभूतिहित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में एतस्मिन नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा दिनांक **21 माह जुलाई वर्ष 2025** को अधिग्रहण कर लिया है।
ऋणी/सह-ऋणी/बन्धकर्ता को विशिष्टतया और सर्वसाधारण को सामान्यतया एतद् द्वारा सम्पत्ति के साथ व्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ कोई व्यवहार **रुपये 482595/- (रु. चार लाख बयासी हजार पांच सौ पिच्यानबे मात्र)** की राशि **दिनांक 10 जनवरी 2025** तक तथा आगे का ब्याज एवं कुल भुगतान होने तक की राशि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (ए शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक) के प्रभार के अधीन होगा।
ऋणियों का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों के साथ सपठित नियम 8(6) की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अन्तर्गत प्रतिभूति आस्तियों के मोचन के लिये उपलब्ध समय अर्थात इस सूचना से 30 दिवस के सम्बन्ध में है।
स्थावर सम्पत्ति का विवरण
सम्पत्ति के सभी अभिन्न अंग रिहायशी/गैररिहायशी भूमि, बिल्डिंग, स्ट्रक्चर एवं फिक्चर संपत्ति स्थित - पट्टा नं. 50734, केएच नं. 3851, गांव- डग, तहसील - गंगहर, जिला- झालावाड़, राजस्थान **क्षेत्रफल 620 वर्ग फीट** जो कि **पारसमल जैन** के स्वामित्व में है।
पूर्व: रोड, पश्चिम: भेरुलाल का मकान,
उत्तर: जैन स्थानक, दक्षिण: रास्ता
दिनांक: 21 जुलाई 2025 **प्राधिकृत अधिकारी**
स्थान : झालावाड़ **एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड**

कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा
क्रमांक:-एफ-15/कृ.भू.रू./2025/766 **विज्ञप्ति** दिनांक:- 25.7.2025
सर्व साधारण को जर्ये विज्ञप्ति सूचित किया जाता है कि ग्राम रामचन्द्रपुरा योजना ''लाजपत नगर'' खसरा नं. 193 में स्थित भूखण्ड संख्या बी-15 के नाम हस्तान्तरण करने हेतु न्यास कार्यालय में श्रीमती रजिया पत्नि श्री महमूद निवासी-बड़े नाले के पास, नयापुरा कोटा राज. द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त भूखण्ड का पट्टा क्रमांक 8927 दिनांक 18.03.2011 को श्री सचिन छोंकर पुत्र श्री धर्मपाल सिंह के पक्ष में जारी किया गया था। पट्टेधारी द्वारा उक्त भूखण्ड का बैचान जर्ये पंजीकृत मुख्तार आम श्रीमती अलका कुमारी पत्नि श्री जितेन्द्र सिंह सेंगर द्वारा जर्ये रजि. विक्रय पत्र दिनांक 01.07.2025 से श्रीमती रजिया पत्नि श्री महमूद को कर दिया गया है।
अत: श्रीमती रजिया पत्नि श्री महमूद के नाम हस्तान्तरण जारी किये जाने में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अन्दर 7 योम कार्यालय में उपस्थित होकर अथवा लिखित में अद्योहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें। मियाद गुजर जाने के बाद आपत्ति मान्य नही होगी।
उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा
क्रमांक:-1467 **नाम हस्तान्तरण चाहने बाबत आम सूचना** दिनांक:-25.7.25
नगर विकास न्यास कोटा की श्रीरामकृष्णपुरम-ए व्यवसायिक योजना के भूखंड/आवास संख्या 07 का आवंटन/विक्रय/हस्तान्तरण/रजि. न्यास के पत्र दिनांक 13.05.2013 को श्री अवध बिहारी सिंह राठौड पुत्र श्री चन्द्र देव सिंह राठौड को किया गया था। आवंटी द्वारा उक्त भूखंड/आवास का जर्ये मुख्तारआम श्रीमती विमला गुप्ता पत्नी श्री शिवचरण गुप्ता द्वारा जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 26.05.2025 को श्रीमती श्वेता सिंहल पत्नी श्री विष्णु सिंहल को विक्रय कर दिया गया है। क्रेता द्वारा उक्त भूखंड/आवास का अपने नामहस्तान्तरण करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।
अत: जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त भूखण्ड/आवास संख्या 07 योजना श्रीरामकृष्णपुरम-ए व्यवसायिक का नाम हस्तान्तरण श्रीमती श्वेता सिंहल पत्नी श्री विष्णु सिंहल के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।
उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा
क्रमांक:-1468 **नाम हस्तान्तरण चाहने बाबत आम सूचना** दिनांक:-25.7.25
नगर विकास न्यास कोटा की श्रीरामकृष्णपुरम-ए व्यवसायिक योजना के भूखंड